

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 84/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

जगरामपुरी वगैरा बनाम वली खान वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री हुकमसिंह गोदारा

**निर्णय**

दिनांक - 02.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प तारातरा में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त, जो शामिल पत्रावली किये गये। विप्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी सं. 2, 7, 12, 13 उपस्थित। प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी के खेत खसरा सं 1443/1113 रकबा 36.00 बीघा, खसरा सं. 1444/1113 रकबा 23.00 बीघा, खसरा सं. 1447/1226 रकबा 04.12 बीघा, खसरा सं. 1448/1226 रकबा 00.16 मौजा हुडासर में आया हुआ है। जिसकी नेखमबन्दी के आदेश जारी किये जावे। उपस्थित विप्रार्थी सं. 2,7,12,13 ने भी इस हेतु अपनी सहमति जाहिर की।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलंगन दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2, 7, 12, 13 को सुना गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण उपरोक्त खेत खसरा सं 1443/1113 रकबा 36.00 बीघा, खसरा सं. 1444/1113 रकबा 23.00 बीघा, खसरा सं. 1447/1226 रकबा 04.12 बीघा, खसरा सं. 1448/1226 रकबा 00.16 मौजा हुडासर का रेकर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत की नेखमबन्दी करना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अ. आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा हुडासर, पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 1443/1113 रकबा 36.00 बीघा, खसरा सं. 1444/1113 रकबा 23.00 बीघा, खसरा सं. 1447/1226 रकबा 04.12 बीघा, खसरा सं. 1448/1226 रकबा 00.16 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।


कमीश्नर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा हुडासर, पटवार हल्का तारातरा तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 1443/1113 रकबा 36.00 बीघा, खसरा सं. 1444/1113 रकबा 23.00 बीघा, खसरा सं. 1447/1226 रकबा 04.12 बीघा, खसरा सं. 1448/1226 रकबा 00.16 बीघा भूमि के पड़ोसी समस्त खातेदारों एवं पक्षकों को नोटिस तामिल कराते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो विधिसम्मत तरीके से मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाने से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कूठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प तारातरा में सुनाया गया।



  
(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 716

प्रार्थीगण :-

1. जगरामपुरी चेला धर्मपुरी 2. सेजपुरी चेला  
जगरामपुरी, जाति स्वामी, निवासी तारातरा  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक 4/5/18

विप्रार्थीगण:-

1. वलीखान पुत्र अजीम जाति तेली मुसलमान  
2. बांकाराम पुत्र मुकनाराम 3. देवाराम पुत्र जोगाराम  
4. सारों पत्नि जोगाराम 5. नथाराम 6. अर्जनराम  
7. लक्ष्मणराम पि. मुकनाराम 8. खेमाराम 9. उमाराम  
10. कौशला पि. कुम्भाराम 11. मेहराराम पुत्र चिमनाराम  
12. नेनाराम 13. ताराराम पि. नवलाराम 14. जोगाराम  
पुत्र घमण्डाराम जाति जाट, 15. चिमनाराम पुत्र  
अणदाराम जाति प्रजापत, निवासी हुडासर, तहसील  
चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 84/2018

दिनांक : 02.05.2018

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा हुडासर के खेत खसरा सं. 1443/1113 रकबा 36.00 बीघा, खसरा सं. 1444/1113 रकबा 23.00 बीघा, खसरा सं. 1447/1226 रकबा 04.12 बीघा, खसरा सं. 1448/1226 रकबा 00.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 717 to 720

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जगरामपुरी वगैरा
3. विप्रार्थीगण वली खान वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

4/5/18

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन